

कार्यालय सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर

कमांक /2606 /RTA/2018

ग्वालियर दिनांक

06-9-18

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर की मीटिंग दिनांक 14.09.2018 समय 12.00 बजे

स्थान :- मोतीमहल स्थित परिवहन विभाग का बैठक कक्ष

(माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में तंबित याचिका WP No. 573/2014 में पारित निर्देश के कम में)


नवीन स्थाई परमिट कम्प्लैन्ड नेचुरल गैस से चलित तिपहिया टेम्पो हेतु एजेंड्रा (शहरी मार्ग)

पुरुष अनुसूचित जनजाति (ST)

कमांक	आवेदक का नाम एवं पता मोबाईल नं.	आवेदित मार्ग कमांक	आवेदक या प्रतिनिधि का नाम	आपत्तिकर्ता का नाम	रिमार्क
1	श्री केशव कुमार पुत्र श्री प्रभु दयाल मांझी किलागेट ग्वालियर मो. नं. 9406915610	मार्ग क. 1, 2, 9, 10, 11			
2	श्री अशोक कुमार मांझी पुत्र श्री प्रभु दयाल मांझी पता- किलागेट ग्वालियर मो. नं. 9981201852	मार्ग क. 1, 2, 9, 10, 11			
3	श्री प्रभु दयाल पुत्र श्री भरोसीलाल पता- लधेड़ी झोसी गंज ग्वालियर मो. नं. 9630868871	मार्ग क. 4, 5, 6, 7,			
4	श्री रामदीन मांझी पुत्र श्री राम सिंह मांझी पता- खारे कुआ लधेड़ी मण्डी मुरार ग्वालियर मो. नं. 9926215590	मार्ग क. 1, 2, 9, 10, 11			
5	श्री नरेन्द्र कुमार बागरी पुत्र श्री चोखेलाल बागरी पता- म. नं. 583 सी. पी. कॉलोनी मुरार ग्वालियर मो. नं.	मार्ग क. 3, 4, 5, 7, 8			
6	श्री दीपक खश पुत्र श्री कमलेश खश पता- काशी नरेश की गली किलागेट ग्वालियर मो. नं. 7697009441	मार्ग क. 1, 2, 4, 9, 10			

7	श्री किरात रान पुत्र श्री नाहर सिंह पता- राजामण्डी काली माता मंदिर के पीछे ग्वालियर मो. नं. 8516081466	नार्ग क. 1, 2, 3, 4, 6		
8	श्री केशव प्रसाद मांझी पुत्र श्री कुंवरपाल मांझी पता- आपानांज ग्वालियर मो. नं. 9826351097	मार्ग क. 1, 2, 7, 8, 9		
9	श्री महेश प्रसाद वर्मा पुत्र श्री शिवदयाल शर्मा पता- रेशम मील आशा ब्रेड फेक्ट्री के पास बिरलानगर ग्वालियर मो. नं. 9907041645	मार्ग क. 1, 2, 3, 9, 10		

- 1- आवेदक एवं आपत्तिकर्ता स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा पक्ष समर्थन हेतु सुनवाई दिनांक को उपस्थित होंगे। अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
- 2- नियम 72 (3) में अपेक्षित जानकारी एवं आपत्तियोग्य दिनांक 29.08.2018 अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है तत्पश्चात् सुनवाई के दिन भी प्रस्तुत की जा सकती है।
- 3- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में गलत जानकारी देने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 4- आवेदक पूर्व में धारित वाहनों व अनुज्ञाओं के सम्बन्ध में शपथ पत्र पर जानकारी प्रदाय करे कि पूर्व में उसके अथवा परिवार के स्वामित्व में कितने टेम्पो श्रेणी के वाहन है।


 सचिव
 क्षेत्रीय परिसर प्रधिकार
 ग्वालियर (मोगो)